

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/10/आरोप(आरा-14/15-G)-01-11/2024...../ पटना, दिनांक-

**:: कार्यालय आदेश ::**

श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति कनीय अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-01, भवन निर्माण विभाग के विरुद्ध सामाहणालय भवन, आरा के निर्माण कार्य में वास्तविक कार्य से अधिक राशी का भुगतान संवेदक को करने आदि आरोपों के संदर्भ में आरोप पत्र गठित किया गया।

2. श्री विनोद बिहारी वर्मा के विरुद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक-3171(भ0)अनु0 दिनांक-15.04.2024 द्वारा लिखित बचाव अभिकथन की माँग की गयी।

3. श्री वर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि सोन बालु एवं स्टोन-चिप्स की ढुलाई में अधिक भुगतान के संदर्भ में उनका नाम अंकित किया गया है, परन्तु संबंधित साक्ष्य, गणना एवं बसूलनीय राशी के संबंध में उनकी सहभागिता संबंधी साक्ष्य नहीं है। श्री वर्मा द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि सातवे विपत्र में सही माप दर्ज किया गया है, जिसे बाद में छेड़-छाड़ कर अधिक राशि का भुगतान किया गया।

4. श्री वर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अधिकाय भुगतान का आरोप अन्य पदाधिकारियों पर टालने का मात्र प्रयास किया गया है। उनके द्वारा मापी से छेड़-छाड़ के संबंध कोई स्पष्ट और ठोस साक्ष्य नहीं दिया गया। अधिकाय भुगतान के संबंध में श्री वर्मा के विरुद्ध ₹1,67,308/- वसूलनीय पाया गया है। स्पष्टतः उक्त मामले में श्री विनोद बिहारी वर्मा की भूमिका भी प्रमाणित है।

5. उपर्युक्त कंडिका-04 में वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट आरोपों की जाँच विहित रीति से करने हेतु विभागीय आदेश संख्या-5113(भ0) दिनांक-05.07.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के प्रावधानों के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

6. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-308 दिनांक-19.03.2025 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री विनोद बिहारी वर्मा के विरुद्ध (1) सोन बालू में अधिक भुगतान करने संबंधी मामला एवं (2) स्टोन चिप्स में अधिक भुगतान करने संबंधी मामला को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3779(भ0) दिनांक-29.04.2025 द्वारा श्री विनोद बिहारी वर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री वर्मा द्वारा उनके पत्रांक-शून्य दिनांक-07.05.2025 द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर एवं विभागीय समीक्षा निम्नवत है :-

श्री वर्मा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में उल्लेख किया गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा मापी-पुस्तिका में छेड़-छाड़ की बात कही गयी है, परन्तु श्री वर्मा द्वारा कहा गया है कि किसी प्रकार का कटिंग मापी-पुस्तिका में नहीं है। संचालन पदाधिकारी का यह मंतव्य विधि संगत नहीं है। क्योंकि श्री वर्मा द्वारा कहा गया है कि संबंधित मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है, जो अभी अनुसंधानरत है, तो ऐसी स्थिति में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य विधि संगत नहीं है।

क०प०उ०

श्री वर्मा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर में यह भी उल्लेख किया गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 (14) का अनुपालन नहीं किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा गवाहों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण का मौका नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा आरोपों को प्रमाणित किया जाना विभिन्न न्यायादेशों एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शन के विपरीत है।

श्री वर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर को विभाग स्तर पर समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री वर्मा द्वारा विभागीय कार्यवाही में सुनवाई के क्रम में स्वयं स्वीकार किया गया है कि मानवीय भूलवश (1) सोन बालू की ढुंलाई की मात्रा में  $285M^3$  के स्थान पर  $1295M^3$  एवं (2) स्टोन चिप्स की ढुंलाई की मात्रा में  $570.82M^3$  के स्थान पर  $2600.10M^3$  अंकित हो गया है। इसी आधार पर श्री वर्मा के विरुद्ध अधिकेय भुगतान का आरोप प्रमाणित पाया गया है। श्री वर्मा द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में कोई भी तथ्यात्मक प्रमाण नहीं दिया गया है। जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप गलत है।

7. अतः श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति कनीय अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-01 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को विभागीय सम्यक् समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 (vi) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित/संसूचित किया जाता है :-

i. "संचयी प्रभाव के साथ एक वेतन वृद्धि पर रोक।"

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन/10/आरोप(आरा-14/15-G)-01-11/2024...../ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना-07 को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन/10/आरोप(आरा-14/15-G)-01-11/2024...../ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै0दा0नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक-भवन/10/आरोप(आरा-14/15-G)-01-11/2024...../ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, भवन अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-01/सभी उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित एवं अराजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन/10/आरोप(आरा-14/15-G)-01-11/2024...../ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-श्री विनोद बिहारी वर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, आरा सम्प्रति कनीय अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-01, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन/10/आरोप(आरा-14/15-G)-01-11/2024...../ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/जिला कोषागार, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-भवन/10/आरोप(आरा-14/15-G)-01-11/2024...../ पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।